ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 349-350

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

मुन्नु कुमार
शोध छात्रा, लोक प्रशासन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

Received- 24.11.2019, Revised- 28.11.2019, Accepted - 03.12.2019 E-mail: - drbrajeshkumarpandey@gmail.com

सारांश : *संविधन के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है जो संविधन के अंतर्गत इन जातियों को प्रदत्त सुरक्षाओं के सम्बन्ध में सभी विषयों की जाँच करेगा एवं राष्ट्रपति को निर्धरित समयों पर इन सुरक्षाओं की अनुपालना करे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर एक विशेष अधिकारी जिसे सामान्यतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाता है, नियुक्त किया जाता है। समस्या की विशालता को देखते हुये सरकार का विचार था कि आयुक्त के अतिरिक्त, इन विषयों को एक उच्च स्तरीय आयोग जिसमें लोक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा को सुपुर्द किया जाये। परन्तु आयोग विशेष अधिकारी की सत्ता को कम नहीं करेगा।*

कुंजीभूत शब्द– वैष्णव भक्ति, सगुणात्मक, विग्रह, कल्पना, नीलोत्पल वर्ण, चतुर्भुजधारी, पुण्डरीकाक्ष, अंधकार।

तदनुसार, सरकार ने इस कार्य हेतु एक आयोग की स्थापना करने का विर्णय लिया जिसमें एक चेयरमैन तथा संविधन की धरा 338 के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी सहित चार से अध्कि सदस्य नहीं होंगे। आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष होगा। इसका मुख्यालय देहली में होगा।

प्रस्तावित आयोग के कार्य व्यापक रूप में विशेष अधिकारों को संविधन के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत प्रदत्त कार्यों के समरूप होंगे। जो निम्न प्रकार हैं :

(i) संविधन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षाओं संबंध्ति सभी विषयों की जाँच करना। इसमें अन्य बातों सहित इन जातियों के लिये लोक सेवाओं में अनुबंध्ति आरक्षणों के अनुपालन की विधि की समीक्षा भी सम्मिलित होगी।

(ii) अस्पृश्यता एवं अन्य अनुचित भेदभाव के उन्मूलन के विशेष संदर्भ में नागरिक अध्कार कानून, 1955 की समीक्षा करना।

(iii) उन सामाजिक आर्थिक एवं अन्य प्रसांगिक परिस्थितियों का पता लगाना जिनके कारण इन जातियों संबंध्ति लोगों के विरुद्ध अपराध किये जाते हैं तथा कानूनी बाधओं को दूर करके ऐसे अपराधें की तुरन्त जाँच पड़ताल सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करनात्र

(iv) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के किसी सदस्य को प्रदत्त किसी सुरक्षा से वंचित रखने के बारे में व्यक्तिगत शिकायत की पूछताछ करना आयोग अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिये अपनी कार्य प्रक्रिया का स्वयं निर्धरण करेगा। सभी मंत्राालय एवं विभाग आयोग द्वारा वाँछित सूचना एवं प्रलेख प्रस्तृत करेंगे। भारत सरकार राज्य सरकारों एवं संघ प्रदेशों के प्रशासनों से आयोग को पूर्ण सहयोग देने की अपेक्षा रखती है।

आयोग राष्ट्रपति को अपने क्रियाकलापों एवं अनुशंसाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परन्तु यदि आयोग चाहे तो किसी समय भी अपने कार्य–क्षेत्रा से संबंध्ति किन्हीं मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। सरकार इस वार्षिक रिपोर्ट तथा उसकी सिपफारिशों पर की गई कार्यवाही अथवा सिपफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों की व्याख्या करते हुये एक ज्ञापन संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी।

आयोग की 1978 में स्थापना की गई। इसकी सहायता के लिये देहली में एक सचिवालय एवं राज्यों में समूह क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये है। बारह क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष निदेशक तथा पाँच के उप–निदेशक कहलाते हैं। सचिवालय का अध्यक्ष सरकार के सचिव पद का एक अधिकारी होता है। आयोग के सचिवालय का संगठन संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पुनः नामांकित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कहा गया है। यह इन जातियों के विकास स्तरों एवं नीतियों के मोटे मामलों पर परामर्शीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसमें एक चेयरमैन एवं ग्यारह अन्य सदस्य होंगे तथा जो समाज मानव शास्त्रा, समाज कार्य एवं अन्य संबद्ध सामाजिक विज्ञानों में विशेषज्ञों

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

को भी सम्मिलित किया जा सकता है। चेयरमैन एवं सदस्यों का कार्यकाल सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा, बशर्ते कि यह सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। राष्ट्रीय आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) अस्पृश्य की सीमा एवं इसके प्रभावों तथा इसके कारण उत्पन्न सामाजिक भेदभाव तथा वर्तमान उपयोगों की प्रभाविता का अध्ययन करना एवं अन्य उपाय अनुशंसित करनाऋ

(ii) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रति से संबंधित व्यक्तियों के प्रति किये गये अपराधें के सामाजिक आर्थिक एवं अन्य प्रसांगिक परिस्थितियों का अध्ययन करना तथा ऐसे अपराधें की तुरन्त जाँच सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपचारी उपायों को अनुशंसित करना।

(iii) इन समूहों का राष्ट्र की मुख्य धरा में एकीकरण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। इनमें सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, कला साहित्य, भाषा आवास, संचार, कृषि, वानिकी, बागबानी, मत्स्य, पुनर्वास, प्रदूषण एवं पर्यावरा के क्षेत्रों में अध्ययन सम्मिलित होंगेऋ

(iv) इन जातियों के विकास के किसी पहलू पर सामान्य नीतियों का विकास करने हेतु अन्य ऐसे कार्य भी आयोग को सुपुर्द किये जा सकते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Vide Resolution of The Ministry or Home Affairs No. 13013/9/77 SCt (1) dated 21 July, 1978.
2. Ministry or Welfare's resolution NO. BC 13015/12/86 SCDVT dated the 1st September, 1987.

*****